राजकीय उपक्रमों हेतु
संशोधित वेतनमान

राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग

राजकीय उपक्रम ब्यूरो

क्रमांक 2(20) बीपीई/97/ 1081 जयपुर, दिनांक 27.11.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त राजकीय उपक्रम(संलग्न सूची के अनुसार,)

विषय :– राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले राजकीय उपक्रमों के कार्मिकों को संशोधित वेतनमान बाबत।

1. उपर्युक्त विषय में, मुझे राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ15 (1) एडी में समाहित नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 वेतनमान में संशोधन के लिए राजकीय उपक्रम ब्यूरो की मंजूरी देने का निर्देश है, जो कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः–

(i) प्रत्येक उपक्रम द्वारा वेतनमान को अपने नियम एवं उपनियम के तहत निर्धारित संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संशोधित किया जायेगा।

(ii) उपक्रम राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये संशोधित वेतनमान के अनुसार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन कर सकते है। हालांकि, यदि उनकी लाभप्रदता की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बढे हुये वेतन और भतों का पूरा बोझ उठा सकते है, तो उनका बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी कम–से–कम वृद्धि प्रदान करने का निर्णय ले सकते हैं, 01 अक्टूबर 2017 के बाद की तारीख से संशोधित वेतनमान प्रदान कर सकते हैं।

(iii) किसी भी परिस्थिति, में कोई भी उपक्रम राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये वेतनमान जो उपरोक्त अधिसूचना 30 अक्टूबर 2017 को जारी की गई थी। से अधिक वेतनमान नहीं देगा।

(iv) नये वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का पालन राज्य सरकार के पूर्वोक्त अधिसूचना में दिये गये नियमों (म्यूटिस म्यूटेंडिस) के अनुसार किया जायेगा।

(v) उपक्रम अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी भत्ते और अन्य भत्ते लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए अधिसूचित दरों तक की अनुमति दे सकता है।

2. जहां तक हानि वाले उपक्रम का संबंध है, वे उपक्रम अपने संसाधनों व अतिरिक्त संसाधनों का आंकलन कर तदानुसार एक समुचित वेतनमान संशोधन का वेतन बिना बकाया भुगतान या मय बकाया भुगतान के तैयार कर सकते है। और अपने नियमों व कानूनों/आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर सकते है। यदि हानि वाले उपक्रम अपने संसाधनों को इस उदेश्य हेतु मोबलाइज कर सकते है तो उन्हें वित्त विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। (राज्य सरकार इस हेतु कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायेगी)

3. अनु. संख्या 1 और 2 के तहत आने वाले संगठनों के लिए रेप्सार एक्ट 1999 के तहत वित्त विभाग से पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

4. ये दिशा–निर्देश वित्त विभाग की आईडी न. 0101705786 दिनांक 20.11.2017 से अनुमोदित है।

आपका आभारी,
ह0
(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार

संलग्न : बोर्डों/निगमों/कंपनियों की सूची, जिनके लिए ये निर्देश लागू है :–

1	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड
2	राजस्थान राज्य गंगानगर शूगर मिल्स लि.
3	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड
4	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लि.,
5	बाडमेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड
6	राजस्थान राज्य गैस लि.,
7	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
8	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर।
9	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर।
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर।
11	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
12	गिरल लिगनाइट पावर लिमिटेड
13	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लि.
14	राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम
15	राजस्थान राज्य पावर फायनेन्स एण्ड फायनेशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लि
16	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड
17	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
18	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपेरेशन लि.
19	राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि.
20	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम
21	राज. राज्य होटल्स निगम, जयपुर।
22	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको)
23	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम
24	राजस्थान वित्त निगम
25	राजस्थान लद्यु उद्योग निगम
26	राजस्थान स्टेट बीज निगम
27	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि.
28	राजरथान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम
29	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
30	राजस्थान भूमि विकास निगम
31	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि.
32	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
33	राजस्थान आवासन मण्डल
34	राजस्थाान जल विकास निगम लि.

राजकीय उपक्रमों हेतु
संशोधित वेतनमान

राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग

राजकीय उपक्रम ब्यूरो

क्रमांक 2(20) बीपीई/97/1291 जयपुर, दिनांक 10.01.2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त राजकीय उपक्रम(संलग्न सूची के अनुसार,)

विषय :– राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले राजकीय उपक्रमों के कार्मिकों को संशोधित वेतनमान बाबत।

मुझे उपरोक्त विषय में दिशा–निर्देश जो कि पत्र क्रमांक 2(20) बीपीई/97/ 1081 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा जारी किये गये थे में संशोधन सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ जो कि निम्नानुसार हैः–

(अ) बिन्दु सं 1(ii) में अंकित दिनांक 01 अक्टूबर 2017 को दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रतिस्थापित किया जावें

(ब) संशोधित वेतनमान के तहत वेतनमान का निर्धारण व बकाया वेतन एंव भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ15(1) एफडी(नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसार किया जावें।

ये दिशा–निर्देश वित्त विभाग की आईडी न. 101706689 दिनांक 01.01.2018 से अनुमोदित है।

आपका आभारी,
ह0
(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार

संलग्न : बोर्डों/निगमों/कंपनियों की सूची, जिनके लिए ये निर्देश लागू है :–

1	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड
2	राजस्थान राज्य गंगानगर शूगर मिल्स लि.
3	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड
4	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लि.,
5	बाडमेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड
6	राजस्थान राज्य गैस लि.,
7	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
8	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर।
9	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर।
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर।
11	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
12	गिरल लिगनाइट पावर लिमिटेड
13	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लि.
14	राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम
15	राजस्थान राज्य पावर फायनेन्स एण्ड फायनेशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लि
16	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड
17	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
18	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपेरेशन लि.
19	राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि.
20	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम
21	राज. राज्य होटल्स निगम, जयपुर।
22	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको)
23	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम
24	राजस्थान वित्त निगम
25	राजस्थान लद्यु उद्योग निगम
26	राजस्थान स्टेट बीज निगम
27	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि.
28	राजरथान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम
29	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
30	राजस्थान भूमि विकास निगम
31	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि.
32	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
33	राजस्थान आवासन मण्डल
34	राजस्थाान जल विकास निगम लि.

टिप्पणी :– इस प्रतिवेदन की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में है और यह प्रति मूल प्रति का भाषा रूपान्तरण है, अतः कोई संशय होने पर मूल अंग्रजी भाषा की रिपोर्ट को ही अधिकृत/ प्रमाणित समझा जावें।